

विकास आयुक्त का कार्यालय

(सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम)

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
(भारत सरकार)

निर्माण भवन, सातवीं मंजिल, मौलाना आजाद रोड,
नई दिल्ली-110 108



OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES)

MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
GOVERNMENT OF INDIA

Nirman Bhawan, 7th Floor, Maulana Azad Road,
New Delhi-110 108

Ph. EPAX-23063800, 23063802, 23063803, 23063804, 23063805 & 23063806

सं. ईए-16024/1/2021-सीएलसीएसएस-डीसीएमएसएमई पार्ट-1 (19317)

चेतावनी

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ बेईमान तत्व लोगों से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत एमएसएमई मंत्रालय से सीधे ऋण दिलाने के नाम पर पैसे वसूल रहे हैं।

इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार अपनी किसी भी क्रेडिट योजना के लिए व्यक्तिगत लाभार्थियों के साथ सीधे तौर पर व्यवहार नहीं करता है। मंत्रालय की सभी ऋण योजनाएं बैंकों /वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ही कार्यान्वित की जाती हैं। जो व्यक्ति एमएसएमई ऋण /ऋण सुविधा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें अपने निकटतम अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संपर्क करना चाहिए। एमएसएमई मंत्रालय की क्रेडिट योजनाओं के सभी विवरण इन वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं:

<https://msme.gov.in>, <http://dcmsme.gov.in> और <https://champions.gov.in>

एमएसएमई मंत्रालय उद्यमियों और जनता के सदस्यों को सावधान करता है कि ऐसे धोखेबाजों द्वारा सीधे या वेबसाइट /फोन कॉल आदि के माध्यम से किए गए ऐसे प्रस्तावों के शिकार न हों। एमएसएमई मंत्रालय आगे उद्यमियों और जनता के सदस्यों को सलाह देता है कि इस तरह के धोखाधड़ी से निपटने के लिए व्यक्तियों /संस्थाओं को वित्तीय नुकसान हो सकता है और मंत्रालय इसके लिए किसी भी तरह से जवाबदेह नहीं होगा। यदि आप ऐसे धोखेबाजों के शिकार हुए हैं, तो यह सलाह दी जाती है कि ऐसे धोखाधड़ी के कृत्यों के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी के साथ अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन से संपर्क करें।
